E-ISSN: 2664-603X
P-ISSN: 2664-6021
IJPSG 2021; 3(2): 162-163
www.journalofpoliticalscience.com
Received: 15-09-2021
Accepted: 23-10-2021

नीरज मीना
एम.फिल., राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान, भारत

Corresponding Author:
नीरज मीना
एम.फिल., राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान, भारत

भारत में संघवाद का समकालीन स्वरूप

नीरज मीना

सारांश
भारत में संघीय व्यवस्था का उद्देश्य पृथक–पृथक इकाईयों को संयुक्त करना है। केन्द्र–राज्यों के मध्य समय–समय पर विभिन्न मुद्दे उभरते रहे हैं। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना करके केन्द्रीकृत नियोजन की परम्परा को विकेन्द्रीकृत करने का प्रयास किया है। एक दशक पश्चात् अन्तर्राज्यीय परिषद की बैठक होने से केन्द्र –राज्य सम्बन्धों का प्रभावी मंच सिद्ध हो रहा है। जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों की सक्रिय भागीदारी परिलक्षित हो रही है। भारतीय संघीय प्रणाली के समीक्षा हेतु भी अनेक आयोगों में प्रमुख सिफारिशें दी हैं। इन प्रवृत्तियों के अतिरिक्त विदेश नीति, हरित संघवाद, सहकारी संघवाद, एकदलीय उभार की आहट आदि भारतीय संघीय व्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियाँ है। गठबंधन सरकारों के दौर में राष्ट्रपति शासन लगाने की प्रवृत्तियों में कमी आई है। अनु. 370, दिल्ली में उप–राज्यपाल, मुख्यमंत्री का क्षेत्राधिकार, राज्यों के मध्य नदी जल विवाद में भी सहयोगी प्रवृत्तियाँ आने लगी है। भारतीय संघवाद में वर्तमान में केन्द्र–राज्यों के मध्य निरंतर संवाद की प्रकृति दिखाई देने लगी है, जिससे राज्यों में भी विकासात्मक कार्यों में तेजी हुई। भारतीय संघवाद में एकात्मक लक्षण – सशक्त केन्द्र, एकीकृत न्याय व्यवस्था, एकल संविधान–नागरिकता आदि के प्रावधान भी हैं। समकालीन रूप में भारतीय संविधान विकासशील संघवाद की ओर प्रवृत्त होता जा रहा है।

मूल शब्दः केन्द्र–राज्य सम्बन्ध, विकेन्द्रीकरण, सहयोगी संघवाद, नीति आयोग, लोकतंत्र।

प्रस्तावना
भरत में राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं दिया जाना ही संघवाद का मजबूत लक्षण है। 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को शक्तिशाली बनाया गया। वर्तमान में संघवाद में न्यायालय की भी सक्रिय भूमिका प्रभावी हो रही है।

भारतीय संघवाद के लक्षण
- संविधान की सर्वोच्चता
- द्वैध शासन
- लिखित संविधान
- कठोर संविधान
- स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय
- राज्य हेतु विशेष प्रावधान
- पंचायत – नगरपालिका

संविधान निर्माताओं ने भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को निर्बल न बनाते हुए शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। संविधान में शक्तियों का वर्गीकरण विषय के महत्त्व को देखते हुए किया गया है। स्वाधीनता के समय तक काफी हद तक संघीय स्वरूप की स्थापना हो चुकी थी। संघवाद एक संस्थागत निकाय है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है। संघवाद का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अमरीकी संविधान में परिलक्षित होता है। भारतीय संघीय ढाँचे पर पहला प्रहार 1957 में हुआ जब केरल में गैर कांग्रेसी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी और केन्द्र के हस्तक्षेप से उसे भंग कर दिया गया। 1967 के चुनावों में कांग्रेस को अनेक राज्यों में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, जिससे आवेश में केन्द्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन के माध्यम से राज्यों में गैर–कांग्रेसी सरकारों को बार–बार अपदस्थ किया। आपातकाल में भारतीय शासन का एकात्मक–निरंकुश स्वरूप सामने आया। 1977 में आम चुनाव में एकदलीय प्रभुत्व का अंत हुआ। 1984 में केन्द्र सरकार ने प्रशासनिक सहयोग में कदम बढ़ाया। 1992 में पुनः सशक्त केन्द्र की स्थिति उत्पन्न हो गई। 1996 के बाद से गठबंधन सरकारें अस्तित्व

में आने लगी थी, जिससे केन्द्र–राज्यों में सहयोगी प्रवृत्ति बढ़ने लगी थी। 2014 में प्रथम बार किसी दक्षिणपंथी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। संविधान सभा में गहरे विचार–विमर्श के बाद ही सभी ने संघवाद को अपनाने का निर्णय किया। संघ–राज्यों का पुनर्गठन किया गया। देशी रियासतों का विलय हुआ।

संघवाद के सुदृढ़ीकरण हेतु कारक

- अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति।
- युद्ध राजनीति।
- दलीय राजनीति।
- वित्तीय सहयोग राजनीति।
- लोक कल्याणकारी राजनीति।
- तकनीकी राजनीति।
- अनुदान राजनीति।

प्रमुख क्षेत्र

अनुच्छेद 356

संविधान में यह एक आवश्यक बुराई के रूप में है। यह राज्य के संवैधानिक तंत्र विफल होने या उसके केन्द्र की नीतियों को लागू करने में असमर्थ होने पर केन्द्र सरकार को ऐसे राज्य में सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार प्रदान करता है। इस अनुच्छेद का दुरूपयोग विरोधी दलों की सरकार गिराने में हुआ।

राज्यपाल का पद

अनेक विद्वानों का मत है कि राज्यपाल के पद को ही समाप्त कर देना चाहिए। राज्यों का यह आरोप रहता है कि केन्द्र सरकार राज्यपाल नियुक्ति के समय उनसे परामर्श नहीं लेती है। केन्द्र द्वारा अपनी विचारधारा के व्यक्तियों को ही राज्यपाल नियुक्त करती है। केन्द्र राज्यपाल के माध्यम से राज्यों में सरकारों को पदच्युत करती रहती है। राज्यपाल सरकार को बहुमत सिद्ध करने अवसर दिये बिना ही पदच्युत कर देते है जिससे संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाता है। वर्तमान में भी अनेक राज्यों में राज्यपाल केन्द्र के एजेंट के रूप में ही कार्यरत है जो केवल केन्द्रीय इच्छा की पूर्ति को ही कर्तव्य मान रहे है। पश्चिम बंगाल में सरकार के मुखिया तथा राज्यपाल के मध्य अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद होते रहे है। केन्द्र सरकार से भिन्न दलों वाली राज्य सरकारों के साथ राज्यपाल के विवाद उग्र हो जाते है।

नौकरशाही

अखिल भारतीय सेवाऐं राज्यों की स्वायत्तता को कम करती है। केन्द्र इनके माध्यम से राज्य सरकारों पर नियंत्रण रखती है। राज्यों द्वारा इनका विरोध किया गया है कि वे राज्य की नीतियों को ठीक प्रकार से लागू नहीं करते है। राज्य सरकार अपना विकास कार्य सही से नहीं कर पाती है। वर्तमान में भी अनेक अधिकारियों को केन्द्र राज्यों से केन्द्र सरकार में नियुक्त कर देती है जिससे राज्यों में कार्यदक्षता में कमी आती है।

आंतरिक सुरक्षा

केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय आतंकवादी निरोधक केन्द्र की स्थापना की, लेकिन राज्यों द्वारा इसका प्रबल विरोध किया जा रहा है कि उनकी सहमति के बिना ही राज्यों में कार्यवाही का अधिकार उचित है।

वित्तीय

राज्यों को वितरित की जाने वाली राशि केन्द्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करती है। जिससे पक्षपातपूर्ण व्यवहार होने से राज्यों में विरोध होता है। जो राज्य केन्द्र के अनुरूप होता है वही अधिक अनुदान प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करता है। राज्यों की आर्थिक स्थिति केन्द्र पर निर्भर रहती है। अन्तर्राज्यीय व्यापार नियमन भी केन्द्र करता है। केन्द्र का आरोप है कि राज्य राजस्व स्त्रोतों का समुचित विदोहन नहीं करती है।

प्रतिस्पर्धी संघवाद

राज्यों के मध्य व्यापार के लिए स्वस्थ प्रतियोगिता होती है। संघ सरकार इनका विनियमन करती है। निवेशकर्त्ता अधिक विकसित राज्यों में पूंजी निवेश करना पसंद करते हैं। वर्तमान संघ सरकार सभी राज्यों में प्रभावी निवेश वातावरण बनाने हेतु सभी प्रयास कर रही हैं।

हरित संघवाद

विगत् वर्षों में न्यायिक सक्रियता के कारण अब सरकारें पर्यावरण के मुद्दे को भी गंभीरता से लेने लगी हैं। भारत में सतत् पर्यावरण विकास हेतु केन्द्र–राज्यों को आपसी सहयोग से कार्य करना चाहिए। केन्द्र को
संशोधन करके पर्यावरण सम्बन्धी विषयों का पुनवर्गीकरण करना चाहिए।

निष्कर्ष

भारतीय पद्धति सहकारी संघवाद के आधार पर स्थित है। संघवाद स्थानीय स्वायत्तता की संवैधानिक गारंटी के साथ अति–केन्द्रीयकरण के रास्ते में संतुलित प्रभावी गतिरोध है। स्वतंत्रता से वर्तमान तक भारतीय संघवाद एक नवीन स्वरूप में आकार ले लिया है। 2014 में आम चुनावों में गठबंधन सरकार का युग समाप्त होकर स्पष्ट बहुमत वाली सरकार अस्तित्व में आयी, जिसने विकास के नाम पर जनमत प्राप्त किया। राज्यों के द्वारा स्वायत्तता की मांग ने भी केन्द्र को नियंत्रित रखा है जिससे वो उनकी आवश्यकता का ध्यान रखे। नदी जल विवादों में भी केन्द्र
मध्यस्थता कर रहा है। सीमा विवाद में केन्द्रीय आयोग स्थापित है। वर्तमान में मोदी सरकार सहयोगात्मक संघवाद को महत्व देने में जोर लगा रही है। केन्द्र सरकार को निर्णय करते समय सम्बन्धित राज्यों से भी परामर्श अवश्य करना चाहिए। किसी भी समस्या के समाधान में केन्द्र–राज्यों को सामजंस्य स्थापित करना चाहिए। भारतीय संघीय व्यवस्था के पुनरीक्षण की आवश्यकता है।

सन्दर्भ

1. अवस्थी, एस.एस., भारतीय सरकार एवं राजनीति, नई दिल्ली, 2010
2. बिस्वाल, तपन, तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाएं–प्रक्रियाएँ, 2013
3. चन्दा, अशोक, फेडरलिज्म इन इण्डिया, 1968
4. जैन, पुखराज, भारतीय शासन–राजनीति, 2010
5. कश्यप, सुभाष, संविधान की आत्मा, 1971
6. राजकुमार, भारतीय संघीय वित्त, 2000
7. संथानम, के., यूनियन स्टेट रिलेशंस इन इण्डिया, 1963
8. शर्मा, जी.एल. सामाजिक मुद्दे, 2015